

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) बालोतरा (कोर्ट केम्प असाड़ा)
पीठासीन अधिकारी : श्री शैलेश सुराणा, RAS (सचिव नगर सुधार न्यास बाड़मेर)

राजस्व वाद संख्या 2021A /2021

वादी :-

1. दौलतसिंह पुत्र श्री तेजसिंह
जाति पुरोहित निवासी
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर ।
बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भैरुसिंह पुत्र तेजसिंह
2. नेमसिंह गोदपुत्र हंसराज
जातियान पुरोहित निवासी असाड़ा
तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर
3. राजस्थान सरकार जरिये भू -धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :- 1. उभय पक्षकरान

निर्णय

दिनांक :- 14.11.2021

वादी के वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 219 रकबा 08-18 बीघा, खसरा नं 361 रकबा 17-07 बीघा व खसरा संख्या 1368 रकबा 09-15 बीघा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा असाड़ा पटवार मण्डल असाड़ा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम दलपतसिंह पुत्र तेजसिंह होने से राजस्व रेकर्ड में दलपतसिंह पुत्र तेजसिंह नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड आदि में वादी का सही नाम दौलतसिंह पुत्र तेजसिंह दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज दलपतसिंह पुत्र तेजसिंह के स्थान पर दौलतसिंह पुत्र तेजसिंह सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम दलपतसिंह पुत्र तेजसिंह के स्थान पर दौलतसिंह पुत्र तेजसिंह दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सहायक प्रभारी अधिकारी तहसीलदार पचपदरा से करवाई गई, उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया, बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में दौलतसिंह पुत्र तेजसिंह दर्ज है, साथ ग्राम असाड़ा की ही जमाबंदी संवत 2072-75 के खासा संख्या 561,686 तथा सरपंच ग्राम पंचायत असाड़ा एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट मय मौका फर्द के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि वादी के नाम नामान्तरकरण करते समय बचपन का नाम दलपतसिंह पुत्र तेजसिंह दर्ज किया गया है जबकी वादी का सही नाम दौलतसिंह पुत्र तेजसिंह है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा



अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा मजमें आम में की जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजा असाड़ा के खेत खसरा नं 219 रकबा 08-18 बीघा, खसरा नं 361 रकबा 17-07 बीघा व खसरा नं. 1368 रकबा 09-15 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम दलपतसिंह पुत्र तेजसिंह के स्थान पर दौलतसिंह पुत्र तेजसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2021 को शिविर असाड़ा में मजमें आम में सुनाया गया।


(शैलेश सुराणा, RAS)

(सचिव नगर सुधार न्यास, बाड़मेर)
प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गावों के संग अभियान-2021

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

